

फाइल सं. ए.12018/19/2019-लेप

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडू में कनिष्ठ लेखा अधिकारी समूह 'ख' के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू तमिलनाडू में कनिष्ठ लेखा अधिकारी समूह 'ख' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं. 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं। baidyanath.prasad@nic.in

(बैद्यनाथ प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23061510

नई दिल्ली

दिनांक ६-१-२०२०

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2019

सा.का.नि..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु (अनुसन्धानीय/ समूह 'ख' पद) भर्ती नियमावली, 1984, जहां तक यह कनिष्ठ लेखा अधिकारी से संबंधित है, का उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कनिष्ठ लेखा अधिकारी (समूह-'ख' अराजपत्रित अनुसन्धानीय पद) भर्ती नियम, 2019 होगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ लगी अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निर्हता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञा है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व मैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम मंड्या	पदों की वर्गीकरण	बेतन मैट्रिक्स में स्तर	बेतन पद है अथवा अन्वयन पद।	मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएँ।	क्या मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती मीधे होगी या प्रोन्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
कनिष्ठ लेखा अधिकारी *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा मक्ता है।	01* (2019)	सामान्य केन्द्रीय सरकार समूह 'ख'	बेतन मैट्रिक्स (35400- 112400 रु.) में स्तर-6	बेतन पद लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	पदोन्ति उम्मीदवारों के लिए दो वर्ष।	पदोन्ति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर।	

प्रोन्ति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्ति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्ति ममिति है, तो उनकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में मंघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
पदोन्ति: उक्त ग्रेड में द्व: वर्षों की नियमित सेवा के साथ बेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) में स्तर—5 में लेखाकार और मन्त्रिवालयी प्रशिक्षण और प्रवंधन संस्थान द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो।	(11)	(12) केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में समूह 'ख' विभागीय प्रोन्ति ममिति (प्रोन्ति पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित ममिति होगे:-

टिप्पणी 1: जहां उन कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्ति किए जाने के लिए विचार किया गया है जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है,
उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भी उनके कनिष्ठ अधिकारियों के साथ जो ऐसी अर्हता और पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके हैं पदोन्ति किए जाने पर विचार
किया जाएगा वर्षते उनकी अपेक्षित अर्हता अथवा पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हता सेवा अथवा पात्रता सेवा के अध्ये से अधिक से अथवा दो वर्ष जो भी कम

हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ-साथ अगले उच्चतर संवर्ग में पदोन्नति हेतु अपनी परीक्षाएँ अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं।

टिप्पण 2: पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता सेवा आकलित करने के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 (जिस तारीख से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की मिफारिश पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा दिया गया है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को वेतन आयोग की मिफारिशों के आधार पर दिए गए तत्वांगत ग्रेड वेतन या वेतनमान में दी गई सेवा समझा जाएगा। (यदि भर्ती की पद्धतियों में से एक पद्धति प्रोन्नति नहीं है तो इसका लोप किया जाए)

प्रतिनियुक्ति:-

वे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आशुलिपिक के पद पर पदस्थ हैं:

(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर किसी समान पद पर पदस्थ हैं;

अथवा

(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400) में स्तर 6 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात इसी ग्रेड में दी गई 6 वर्ष की सेवा।

(iii) मूल संवर्ग/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर 4 में या इसके समकक्ष पद पर नियुक्ति के बाद इस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा; और

(iv) जिसने मन्त्रिवालयी प्रशिक्षण और प्रवंधन संस्थान में गोकड़ और लेखा या इसके समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लिया हो और गोकड़, लेखा और वज्र कार्य में दो वर्ष का अनुभव लिया हो।

टिप्पण 1: फीडर श्रेणी वाले विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति की पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें उसी संगठन अथवा किसी अन्य संगठन अथवा केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य वाह्य संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि को सम्मिलित करते हुए, सामान्य तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छाप्पन वर्ष से अधिक न हो।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 (जिस तारीख से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की मिफारिश पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा दिया गया है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को वेतन आयोग की मिफारिशों के आधार पर दिए गए

	1.	अपर	निदेशक, मीएलटीआरआई, चेंगलपट्टू - अध्यक्ष
	2.	उप	निदेशक, मीएलटीआरआई, चेंगलपट्टू - सदस्य
	3.	सहायक	निदेशक, मीएलटीआरआई, चेंगलपट्टू - सदस्य
	4.	प्रशासनिक	अधिकारी, मीएलटीआरआई, चेंगलपट्टू
			समूह 'ब' विभागीय प्रोफ्रेसन समिति (स्थायीकरण हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-
	1.	उप महानिदेशक (कुप्र रोग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष	
	2.	निदेशक, केंद्रीय कुप्र रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान - सदस्य	
	3.	उप-निदेशक/सहायक निदेशक, केंद्रीय कुप्र रोग	

तत्संगत ग्रेड वेतन या वेतनमान में दी गई सेवा समझा जाएगा जिवाय वहां जहां एक से अधिक पूर्व मंथोधित वेतनमानों का विलय एक सामान्य ग्रेड वेतन के साथ एक ग्रेड में कर दिया गया है और जहां यह लाभ उन पदों के लिए दिया जाएगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान विना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान - मदन्य	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--

फा.सं.ग. 12018/19/2019-कुण्ड

(वैद्यानाथ प्रमाद)
अवर मन्त्रिव, भारत सरकार